भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2389
07अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना

2389 **# श्रीमती दर्शना सिंहः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा दक्षता के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना लाने का विचार रखती है;
(ख) विशेष इस्पात हेतु पीएलआई योजना 1.1 तथा पीएलआई योजना 1.2 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं से हुए निवेश, उत्पादन तथा सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के पश्चात इस्पात निर्यात बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और
(घ) घरेलू इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने कौन-से प्रमुख कदम उठाए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) सरकार ने ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील हेतु वर्गीकरण जारी किया।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस्पात मंत्रालय को 455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

(iii) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया": रोडमैप और एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए रोडमैप प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जारी...2/-

(iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(v) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात, निर्यात, रोजगार आदि के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

सरकार ने 6322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य निवेश और मूल्यवर्धित विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर, आयात निर्भरता कम करके और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके घरेलू इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, 15 राज्यों में 100 कंपनियों को शामिल करते हुए 167 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिनांक 30 जून, 2026 तक, प्रतिभागी कंपनियों ने लगभग 26,320 करोड़ रुपये का निवेश किया है, 14,974 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है और लगभग 3.7 मिलियन टन का संचयी वृद्धिशील उत्पादन और आयात प्रतिस्थापन हासिल किया है।

*****